मध्य प्रदेश शासन

:: तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग, भोपाल ::

विवरण पुस्तिका एवं प्रवेश नियम

अंशकालीन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम सत्र 2011–12

मध्यप्रदेश के पोलिटेकनिक भोपाल, जबलपुर, सतना, शहडोल, खण्डवा, उज्जैन, सनावद तथा श्री वैष्णव पोलिटेकनिक इंदौर में अंशकालीन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम हेतु

सत्र 2011–12

प्रवेश हेतु संबंधित संस्था में आवेदन–पत्र, कार्यरत संस्थान से अग्रेषित कराकर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 22/12/2011

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

सतपुड़ा भवन, भोपाल

(आवेदन शुल्क ₹100/–)

राज्य के शासकीय, स्वशासी एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय संस्थाओं में संचालित पत्रोपाधि पाठ्यक्रम के प्रवेश नियम सत्र 2011–12 (पाठ्यक्रम संचालन जनवरी, 2012 से)

इन नियमो में मध्यप्रदेश में स्थापित पोलीटेकनिक महाविद्यालय भोपाल, जबलपुर, शहडोल, सतना, खण्डवा, उज्जैन, सनावद तथा श्री वैष्णव पोलिटेकनिक इंदौर के अंशकालीन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश संबंधी सामान्य नियमावली एवं पात्रताओ का विवरण दिया गया हैं ।

इन नियमो में प्रस्तुत प्रवेश संबंधी सभी नियमों एवं पात्रताओं में आवश्यकतानुसार समय–समय पर राज्य शासन या म.प्र. के संचालक तकनीकी शिक्षा द्वारा पाठ्यक्रम के उपयुक्त संचालन हेतु संशोधन या परिवर्तन किया जा सकता है। इस संबंध में किसी भी स्थिती या विषय या भविष्य में उठने वाली किसी भी स्थिती में मध्यप्रदेश शासन अथवा संचालक तकनीकी शिक्षा का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

(1) पाठ्यक्रम

स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालय भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, सनावद, खण्डवा, शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय सतना, शहडोल, और अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय श्री वैष्णव पोलीटेकनिक इंदौर में संचालित पाठ्यक्रमो में निर्धारत प्रवेश स्थान निम्नानुसार हैः–

	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	योग
1	2	3	4
1	पोलिटेकनिक महा. (कला निकेतन) जबलपुर (शासन द्वारा स्वशासी घोषित)	1. सिविल इंजी 2. मेकेनिकल इंजी. 3. इलेक्ट्रीकल इंजी	30 50 40
2	पोलिटेकनिक महाविद्यालय भोपाल (शासन द्वारा स्वशासी घोषित)	1. सिविल इंजी 2. मेकेनिकल इंजी. 3. इलेक्ट्रीकल इंजी	50 50 50
3	पोलिटेकनिक महाविद्यालय उज्जैन (शासन द्वारा स्वशासी घोषित)	1. सिविल इंजी 2. मेकेनिकल इंजी. 3. इलेक्ट्रीकल इंजी	30 30 30
4	पोलिटेकनिक महाविद्यालय खण्डवा (शासन द्वारा स्वशासी घोषित)	1. सिविल इंजी 2. मेकेनिकल इंजी. 3. इलेक्ट्रीकल इंजी	20 20 20
5	शास.पोलिटेकनिक महाविद्यालय शहडोंल	1. सिविल इंजी 2. मेकेनिकल इंजी. 3. इलेक्ट्रीकल इंजी	30 30 30
6	श्री वैष्णव पोलिटेकनिक महाविद्यालय इंदौर (अनुदान प्राप्त अशा.पोली महा.)	1. सिविल इंजी 2. मेकेनिकल इंजी. 3. इलेक्ट्रीकल इंजी 4. इलेक्ट्रोनिक्स इंजी	30 50 40 30
7	शास.पोलिटेकनिक महाविद्यालय सतना	1. मेकेनिकल इंजी 2. इलेक्ट्रीकल इंजी.	30 30
8	पोलीटेकनिक महाविद्यालय सनावद	1. मेकेनिकल इंजी 2. इलेक्ट्रीकल इंजी.	30 30

प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में 5/5 माह अवधि के दो सेमेस्टर होंगे। जिसके बीच में 15 दिनों का लघु अन्तराल होगा ।

प्रथम सेमेस्टर के प्रारम्भ होने की तिथि प्रति वर्ष प्रत्येक संस्था द्वारा घोषित कि जावेगी तथा उसके पूर्व प्रवेश का कार्य पूर्ण कर दिया जावेगा । संस्था की कार्य अवधि प्रत्येक सेमेस्टर में प्रतिदिन सांयकाल 6.00 से 9:00 रात्रि तक सभी कार्य दिवसों में होगी ।

नोट :–

यदि किसी संस्था के किसी पाठ्यक्रमों में चयनित आवेदको की संख्या (किसी वर्ग) 10 से कम होगी तो उस संस्था के संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश नही दिया जावेगा

(2) स्थानों का आरक्षण

प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीद्वारो के लिये स्थानो का आरक्षण उपलब्ध है। जिसका विवरण नीचे दिया गया है –

ऐसा उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी में होने का दावा करता हैं एवं मध्यप्रदेश का मूल निवासी है उसे निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे –

(अ) समक्ष अधिकारी द्वारा इस नियम पुस्तिका के अध्याय–2 में दिये गये निर्धारित प्रारुप अथवा शासन के प्रारूप में मूल निवासी, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र,

और

(ब) कोर्ट स्टाम्प पर नोटरी का एक शपथ पत्र जिसमें की स्पष्ट उल्लेख हों कि उनके द्वारा दी गई समस्त जानकारी /अभिलेख प्रमाण पत्र सही है।

यदि ऐसा शपथ पत्र किसी भी प्रकार से झूठा या गलत पाया गया अथवा जानकारी जाँच के उपरान्त गलत पायी गई तो उम्मीदवार का प्रवेश संबंधी दावा अस्वीकार कर दिया जावेगा । यदि उम्मीदवार ने प्रवेश पा लिया हैं तो उसके प्रवेश को निरस्त कर दिया जावेगा।

(स) अन्य पिछडी जाति (क्रीमीलेयर को छोडकर) श्रेणी –

ऐसा उम्मीदवार, जो मध्यप्रदेंश की अन्य पिछडी जाति (ओ.बी.सी.) श्रेणी में होने का दावा करता है उसे इस नियम पुस्तिका के अध्याय–2 में दिये गये निर्धारित प्रारुप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र 30 अप्रैल 2009 के पूर्व जारी किया गया हो तो उम्मीदवार को परिवार की कुल वार्षिक आय का नवीनतम आय प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो को परामर्श के समय प्रस्तुत करना होगा । (देखें मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ–7–2/96/ आ.प्र./एक, दिनांक 12 मार्च, 1997 एवं आदेश क्रमांक एफ–7–16–2000/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 06.07.2000 तथा शासन द्वारा क्रीमीलेयर के संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश)।

टिप्पणीः

(अ) उम्मीदवार विभिन्न श्रेणीयों में से केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है।

(ब) जिस श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो उससे संबंधित प्रमाण पत्र शासन द्वारा निर्धारित/नियम पुस्तिका के अध्याय में दिये गये निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत करना अनिवार्य
होगा

(स) ***मध्यप्रदेश के मूल निवासी आरक्षित श्रेणी के लिये उपलब्ध सीटों*** के पहले दौर की परामर्श (काउंसिलिंग) में, आरक्षित प्रवर्ग के प्रथम अभ्यर्थी को निम्नलिखित क्रम से बुलाया जायेगा, ताकि रिक्त आरक्षित स्थान पारस्परिक रूप से परिवर्तित किए जा सकें:– अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति.

आरक्षित प्रवर्गो के परामर्श (काउंसलिंग) संचालित करने के पश्चात्, उपरोक्त क्रमानुसार, रिक्त स्थान, यदि कोई हों, अनारक्षित स्थानों में संविलीन किए जाएंगे और तब अनारक्षित स्थानों के लिये परामर्श (काउंसलिंग) प्रारंभ की जाएगी.

आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार जिनके नाम अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में भी है को, अनारक्षित सीटों के आवंटन में भी विचारार्थ लिया जायेगा। उन्हें आरक्षित श्रेणी से अथवा अनारक्षित श्रेणी से, उनकी पसंद की प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिनका प्रवेश अनारक्षित श्रेणी की सीटों पर किया जाएगा उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में की जाएगी.

(द) महिला उम्मीदवारो हेतु आरक्षणः
महिला उम्मीदवारो हेत प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत 30 प्रतिशत सीटों का आरक्षण उपलब्ध होगा ।

(इ) किसी भी श्रेणी में महिला उम्मीदवार न उपलब्ध होने पर उस श्रेणी की पात्रता के पुरुष उम्मीदवार को प्रवेश दिया जायेगा, किन्तु महिलाओं के लिये आरक्षित स्थान अन्य श्रेणी में समायोजित नही किये जायेंगे।

3. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश तथा पात्रता की शर्ते :

3(अ) उम्र : ऐसे उम्मीदवार जो अंशकालीन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के इच्छुक हैं उनकी उम्र आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि को कम से कम 20 वर्ष होना चाहिये ।

3(ब) योग्यताः सभी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के प्रथम वर्ष मे प्रवेश हेतु उम्मीदवार का निम्नालिखित में से कोई भी एक **परीक्षा विज्ञान (भौतिकी एंव रसायन) तथा गणित मुख्य विषयों के साथ उत्तीर्ण** होना आवश्यक हैः–
माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से (10+2) प्रणाली की दसवीं कक्षा की परीक्षा/SSC परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 35 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

3 (स) **नौकरी :** उम्मीदवार को आवश्यक रुप से पूर्णकालिक नियमित सेवा में 2 वर्ष पूर्ण होना चाहिये, जो कि तकनीकी सेवा की परिभाषा के अनुरुप शासकीय सेवा, सार्वजनिक या निजी प्रतिष्ठान उद्योग या तकनीकी शिक्षण संस्थाओ में प्रवेश के समय तथा उसके पश्चात पढाई की अवधि में सेवारत हो। उम्मीदवार

की तकनीकी सेवा का स्थल शिक्षण संस्था (पोलिटेकनिक महाविद्यालय) से 60 कि.मी. परिधि में होना चाहिये। साथ ही पूर्णकालिक नियमित सेवा के सत्यापन हेतु पिछले छः माह का वेतन पत्रक प्रस्तुत करना होगा।

विभिन्न पोलिटेंकनिक महाविद्यालय संस्थाओं में अंशकालीन डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उपलब्ध श्रेणीवार स्थानो की संख्या निम्नानुसार हैं :–

परिशिष्ट ''अ''

श्रेणीवार स्थानो की संख्या
(बिन्दु क्रमांक 3 स में वर्णित उम्मीदवारों हेतु लागु)

	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सामान्य	अनु.जाति	अनु. ज. जाति	अपिजा	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पोलिटेकनिक महा. (कला निकेतन) जबलपुर **(शासन द्वारा स्वशासी घोषित)**	1. सिविल इंजी 2. मेकेनिकल इंजी. 3. इलेक्ट्रीकल इंजी	15 25 20	05 08 06	06 10 08	04 07 06	30 50 40
2	पोलिटेकनिक महाविद्यालय भोपाल **(शासन द्वारा स्वशासी घोषित)**	1. सिविल इंजी 2. मेकेनिकल इंजी. 3. इलेक्ट्रीकल इंजी	25 25 25	08 08 08	10 10 10	07 07 07	50 50 50
3	पोलिटेकनिक महाविद्यालय उज्जैन **(शासन द्वारा स्वशासी घोषित)**	1. सिविल इंजी 2. मेकेनिकल इंजी. 3. इलेक्ट्रीकल इंजी	15 15 15	05 05 05	06 06 06	04 04 04	30 30 30
4	पोलिटेकनिक महाविद्यालय खण्डवा **(शासन द्वारा स्वशासी घोषित)**	1. सिविल इंजी 2. मेकेनिकल इंजी. 3. इलेक्ट्रीकल इंजी	10 10 10	03 03 03	04 04 04	03 03 03	20 20 20
5	शास.पोलिटेकनिक महाविद्यालय शहडोंल	1. सिविल इंजी 2. मेकेनिकल इंजी. 2. इलेक्ट्रीकल इंजी	15 15 15	05 05 05	06 06 06	04 04 04	30 30 30
6	श्री वैष्णव पोलिटेकनिक महाविद्यालय इंदौर (अनुदान प्राप्त अशा.पोली महा.)	1. सिविल इंजी 2. मेकेनिकल इंजी. 3. इलेक्ट्रीकल इंजी 4. इलेक्ट्रोनिक्स इंजी	15 25 20 15	05 08 06 05	06 10 08 06	04 07 06 04	30 50 40 30
7	शास.पोलिटेकनिक महाविद्यालय सतना	1. मेकेनिकल इंजी 2. इलेक्ट्रीकल इंजी.	15 15	05 05	06 06	04 04	30 30
8	पोलीटेकनिक महाविद्यालय सनावद	1. मेकेनिकल इंजी 2. इलेक्ट्रीकल इंजी.	15 15	05 05	06 06	04 04	30 30

<u>परिभाषाएं:</u>

i. तकनीकी सेवाएं:

इन नियमों के लिये तकनीकी सेवा का तात्पर्य पूर्णकालिक नियमित सेवा से है, जिसकी जांच कभी भी किसी सक्षम अधिकारी द्वारा की या करवाई जा सकती है, जिसके निष्पादन में इस प्रकार के कार्य किये जाते है, जिसमें कि शारीरिक, मानसिक तथा मानवीय कुशलता एवं प्रशिक्षण की आवश्कता हो प्राचार्य द्वारा जांच करने पर यह पाया गया है कि वह तकनीकी सेवा से संबंधित कार्य नहीं करता है तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा।

टीपः जब तक पद कार्य का स्वरूप तकनीकी नहीं है उसे "तकनीकी सेवा" का कर्मचारी नहीं माना जावेगा, भले ही पद का नाम या स्वरूप उस प्रकार का परिलक्षित होता हो। उम्मीदवार को चयन योग्य तब ही समझा जावेगा जब वह तकनीकी दृष्टि से सक्षम होगा।

ii. उद्योग/प्रतिष्ठान/फर्म इन नियमों के लिये उद्योग/प्रतिष्ठान या फर्म से तात्पर्य उस संस्थान से है जो फैक्ट्री एक्ट या मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम या मध्यप्रदेश शासन के उद्योग विभाग से पंजीकृत हो.

टीप– 1 स्थानीय संस्थाओं में व्यावसायिक स्थल के रूप में पंजीकृत उद्यौग/फर्म/प्रतिष्ठान इन नियमों के अन्तर्गत मान्य नहीं होंगे।

टीप–2. दीर्घ/लघु उद्योग के रूप में रजिस्टर्ड फर्म एवं सोसायटी के अतंर्गत पंजीकृत प्रतिष्ठान या उद्यम में कार्यरत उम्मीदवार को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उक्त फर्म/उद्यम या प्रतिष्ठान में उत्पादन/मरम्मत/अनुरक्षण/तकनीकी निर्माण संबंधी कार्य सम्पन्न होते हैं। यह मात्र एक औपचारिक व्यापारिक केन्द्र नहीं है। अतः इस आशय का सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसकी एक प्रति पंजीकृत फर्म एवं सोसायटी को भी देनी होगी इसकी जांच भी की जायेगी।

टीप–3 फैक्ट्री एक्ट के अनुसार नौकरी संबंधी सभी प्रमाण जिले के लेवर आफिसर/कार्यपालन यंत्री/संभागीय यंत्री/नगर अभियंता/स्टेट मैनेजर/विद्युत निरीक्षिक जो लागू हो, द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कराकर प्रस्तुत करना होगा।

टीप–4 स्वरोजगारी उम्मीदवार के लिये छूट की पात्रता होगी, यदि उम्मीदवार किसी ऐसे वर्कशॉप को संचालित करता हो जिसमें इंजीनियरिंग पर आधारित कर्मशाला मरम्मत, रख–रखाव तथा उत्पादन के कार्य सम्पन्न होते हैं जो नियम 3(सी) के अतंर्गत दी गई परिभाषा "2" के अनुसार पंजीकृत है।

टीप–5 ऐसे उम्मीदवार जो तकनीकी सेवा के अंतर्गत किसी सिविल ठेकेदार के पास पूर्णकालिक सेवा में है, सिविल ठेकेदार पंजीयन "ए" या "बी" वर्ग के ठेकेदार के रूप में (वर्तमान एवं पूर्व के पंजीयन की फोटो कापी प्रवेश प्रपत्र के साथ अवश्य प्रस्तुत करें) हों तथा ऐसे ठेकेदार के पास उम्मीदवार का तकनीकी सेवा में होने का प्रमाण पत्र/किसी राज्य शासन/केन्द्र शासन/सार्वजनिक प्रतिष्ठान के अधिकारी जो कि कार्यपालन यंत्री/संभागीय अभिंयता/नगर अभिंयता। गेरीसन इंजीनियर के रूप में उस कार्य का प्रभारी हो जिसमें उम्मीदवार कार्यरत है, प्रस्तुत करें। तकनीकी सेवा में होने का प्रमाण–पत्र उपरोक्त कार्यपालन यंत्री/संभागीय अभियंता/नगर अभियंता/गेरीसन इंजीनियर द्वारा जांच के पश्चात् प्रति हस्ताक्षरित हो, यदि उम्मीदवार स्वयं ठेकेदार है तो उपयुक्त अधिकारी के अतंर्गत उसका पंजीयन होना चाहिये।

टीप–6 ऐसे उम्मीदवार जो किसी विद्युत ठेकेदार के पास विद्युतकार/टेक्नीशियन पर्यवेक्षक के रूप में पूर्ण कालिक रूप में कार्यरत हैं, उन्हें अपना सेवा प्रमाण–पत्र मध्यप्रदेश विद्युत लायसेसिंग बोर्ड के विद्युत निरीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित कराना है। साथ ही उस विद्युत ठेकेदार की भी जिसके पास उम्मीदवार कार्य करता है। मध्यप्रदेश विद्युत लायसेसिंग बोर्ड के पास पंजीयन होना आवश्यक है तथा पंजीयन प्रमाण पत्र की फोटो कापी भी संलग्न करना है। यदि उम्मीदवार स्वयं ठेकेदार है तो उसे भी इसी तरह उपरोक्त बोर्ड के अतंर्गत पंजीयत होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि उम्मीदवार ने इलेक्ट्रीशियन मोटर वाइडिंग या वायरमेन ट्रेड में आय.टी.आय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो तो उसे लायसेसिंग बोर्ड विद्युत निरीक्षिक से प्रतिहस्ताक्षरित कराने की आवश्यकता नहीं है।

टीप–7 यदि उम्मीदवार इलेक्ट्रीशियन पर्यवेक्षक के रूप में किसी मेकेनिकल इंजीनियरिंग कर्मशाला/इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग कर्मशाला/फेक्ट्री/प्रतिष्ठान में कार्यरत है तो वो तभी पात्र होगा जब वह कर्मशाला/फेक्ट्री/फर्म/प्रतिष्ठान नियम 3(सी) के अतंर्गत दी गई परिभाषा "2" के अनुसार पंजीकृत हो साथ

ही इसी परिभाषा की टीप "दो" की भी पूर्ति करता हो तथा विद्युत सामग्री/मशीन/उपकरण इत्यादि के उत्पादन हेतु अधिकृत (लायसेंसधारी) हो, ऐसे उम्मीदवार को अपना सेवा प्रमाण–पत्र मध्यप्रदेश विद्युत लायसेंसिंग बोर्ड के विद्युत निरीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित करवाना होगा। यदि उम्मीदवार के इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय में आय.टी.आय. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है तो उसे उपरोक्त लायसेंसिंग अथोरिटी से प्रतिहस्ताक्षरित कराने की आवश्यकता नहीं है।

टीप–8 मोटर गैरेज, आटो रिपेयर शाप, छोटी कर्मशाला, साईकिल रिपेयर शाप एवं इसी प्रकार के संस्थान परिभाषा के अनुसार उद्योग/फर्म/प्रतिष्ठान के रूप में इन नियमों के अतंर्गत नहीं माने जावेंगे जब तक कि वे उपरोक्त परिभाषा (2) टीप (2) के अनुसार पंजीकृत नहीं हो।

टीप–9 केवल शासकीय विभाग में कार्यरत समयपाल ही तकनीकी सेवा में माने जावेंगे यदि उनके विभागीय प्रमुख स्पष्टतः उनके कार्य के तकनीकी स्वरूप को प्रमाणित करे।

iii. अनुभवः

उम्मीदवार को कम से कम दो वर्षो की नियमित सेवा के आधार पर तकनीकी सेवा का अनुभव आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिये। यदि आवेदक एक से अधिक प्रतिष्ठानों का अनुभव पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे वर्तमान में कार्यरत पतिष्ठान के अनुभव प्रमाण–पत्र को प्रवेश फार्म में दिये गये नियोक्ता एवं प्रतिहस्ताक्षर प्रपत्र में प्रस्तुत करना आवश्यक है, साथ ही पूर्व में किये गये प्रतिष्ठानों के अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ताकि अनुभव की गणना की जा सकेगी।

अनुभव की गणना के लिये अधिमान तभी मान्य होगा जबकि तकनीकी अनुभव प्रमाण–पत्र संतोषजनक हो और जिसमें पद एवं वेतन प्राप्त करने का स्पष्ट उल्लेख हो और कार्यविधि भी दर्शाना आवश्यक है।

3 (द),उपरोक्त 3 (स) की शर्ते पूर्ण करने वाले सभी श्रेणी के उम्मीदवारों की काउंसलिंग संपादित करने के उपरांत रिक्त रह गये समस्त स्थान अनारक्षित श्रेणी में होगे तथा जिसके लिये निम्नलिखित उम्मीदवारों के लिये प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी। जिसमें समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक संयुक्त मेरिट सूची के आधार पर आवंटन किया जावेगा। आवंटन की कार्यवाही निम्न वरीयता अनुसार की जावेगीः–

(i) दैनिक वेतन के साथ –साथ अंशकालीन तकनीकी सेवा का प्रशिक्षण या सेवा पूर्ण का प्रशिक्षण अथवा एप्रेन्टिसशीप (भत्ते सहित) के अन्तर्गत किसी भी संस्था में कार्यरत् है।

(ii) वह उम्मीदवार जिसने 10+2 प्रणाली की दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर दो वर्ष पूर्ण कर लिये हो।

टीपः—

यदि छात्र द्वारा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् दो वर्ष पूर्ण कर लिए है एवं इस दौरान उसने कोई नौकरी नहीं की है एवं वर्तमान में भी कोई नौकरी नहीं कर रहा है तो ऐसे प्रकरण में नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण—पत्र आवश्यक नहीं होगा।

4. **प्रवेश की प्रक्रियाः**

प्रवेश हेतु आवेदन— प्रवेश हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश की वेबसाईट www.dtempcounselling.org से डाउनलोड कर संबंधित पोलीटेकनिक महाविद्यालय में जमा करेंगे जहां कि अभ्यर्थी प्रवेश लेना चाहते हैं। आवेदन के साथ 100 रूपये का डिमांड ड्राफ्ट, जो की संस्था के प्राचार्य के नाम देय हो, के साथ जमा करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रपत्रों का होना अनिवार्य हैः—

1. संस्थान जहां आवेदक कार्यरत है वहां के कार्यालय द्वारा अग्रेषित पत्र आवेदन—पत्र के साथ संलग्न होना चाहिये।
2. उत्तीर्ण अर्हकारी परीक्षा एवं अन्य उच्च अर्हता की परीक्षा की अंक सूचियां।
3. वर्तमान नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण—पत्र, नियुक्ति एवं अनुभव प्रमाण—पत्र।
4. निर्धारित प्रपत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण—पत्र।
5. उम्मीदवार द्वारा पूर्ववर्ती नियुक्ति आदेश की फोटो कापी।
6. चयनोपरान्त प्रवेश लेते समय उम्मीदवार द्वारा शपथ पत्र जिसमें अर्हता प्रमाण—पत्र, नियुक्ति विवरणों की जानकारी हो जो प्रवेश पत्र में दिया गया है तथा सब सही है इस आशय की शपथ हो।
7. इस आशय की प्रतिबद्धता कि पाठ्यक्रम में प्रवेश मिलने पर पूरे शिक्षण अवधि में अन्य किसी संस्था के अन्य पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होगा।
8. मूल स्थानान्तरण प्रमाण—पत्र जहाँ आवेदक अंतिम रूप में अध्ययनरत था, प्रवेश के समय देना अनिवार्य है।

नोटः— उपरोक्त प्रमाण—पत्र संलग्न न होने पर आवेदन—पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।

5. **प्रवेश हेतु उम्मीदवार का चयन एवं पात्रताः**

1. प्राप्त हुए सभी आवेदन–पत्रों का प्राचार्य द्वारा सारणीकरण किया जावेगा। स्वीकृत प्रवेश संख्या के अनुसार प्रत्येक पाठ्यक्रम में पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों को प्रवेश अनिवार्यतः योग्यताक्रम अनुसार दिया जावेगा।

2. ऐसे उम्मीदवार जो कि पात्रता की शर्तो को पूरा नहीं करते हैं प्राचार्य उनके आवेदनों को अमान्य कर देंगे। यह आवश्यक नहीं है कि आवेदक को इस बाबत् सूचित किया जावे। वे नोटिस बोर्ड पर सूची देख सकते हैं।

प्रवेश के लिये प्रथम सूची 3 (स) की शर्तो को पूर्ण करने वाले उम्मीदवारों को बनाकर प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात् बचे रिक्त स्थानों को भरने के लिये 3 (द) की शर्तो को पूर्ण करने वाले उम्मीदवारों की सूची से प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।

3. केवल प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों को संबंधित पोलीटेकनिक महाविद्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय में चयन समिति के समक्ष आयोजित साक्षात्कार हेतु स्वयं के व्यय पर उपस्थित होना होगा।

4. यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित तिथि एवं समय में आयोजित साक्षात्कार हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो उसकी उम्मीदवारी स्वयंमेव निरस्त हो जावेगी।

5. चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के पश्चात् तैयार की गई उम्मीदवारों की अंतिम चयनित सूची संचालक, तकनीकी शिक्षा के प्रतिनिधि के माध्यम से स्वीकृति हेतु संचालक तकनीकी शिक्षा के समक्ष प्रस्तुत की जावेगी।

6. चयन समिति के द्वारा अनुमोदित एवं योग्यता क्रम के अनुसार चयनित उम्मीदवारों की पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार की गई सूची संस्था के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जावेगी। उक्त सूचना में उम्मीदवारों को तद्नुसार संस्था में शुल्क जमा करने की तिथि तथा सेमेस्टर प्रारंभ होने की तिथि तथा समय की जानकारी भी दी जावेगी।

7. एक पाठ्यक्रम हेतु विचारणीय उम्मीदवार को आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् पाठ्क्रम परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

8. आवेदक जिस पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहता है उसी पाठ्यक्रम से संबंधित कार्यों में नियोक्ता संस्थान में कार्यरत होगा। यदि उस क्षेत्र में तकनीकी कार्य अनुभव पाठ्यक्रम के अनुरूप नहीं होगा तो उसे चयन समिति द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।

9. चयनित आवेदक को एक संस्था से अन्य किसी संस्था में स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।

10. पात्रता रखने वाले आवेदक को साक्षात्कार हेतु, प्रवेश के लिये उपलब्ध स्थानों की संख्या को ध्यान में रखते हुए बुलाया जावेगा यह आवश्यक नहीं कि सभी आवेदकों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाये।

6. देय राशिः देय राशि निम्नानुसार जमा की जावेगीः–

छात्र फीस या अन्य देय राशि निर्धारित तिथि में संस्था में जमा कर रसीद प्राप्त करें, रसीद सावधानी से रखें तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे कार्यालय में प्रस्तुत करें।

7. अवधान राशि की वापसीः

हमेशा के लिये संस्था छोड़ने वाले छात्रों को ही अवधान राशि वापिस की जावेगी। छात्र पर बकाया संस्था संबंधी सभी देनदारी की वसूली के बाद ही रकम की वापसी की जावेगी। अवधान राशि की वापसी के आवेदन पत्र के साथ मूल रसीद अवश्य संलग्न की जानी चाहिये जिसके द्वारा छात्र ने प्रवेश के समय अवधान राशि जमा की हो। अवधान राशि के वापसी की मूल रसीद संस्था के अभिलेख में रहेगी। यदि किसी कारणवश छात्र द्वारा हमेशा के लिये संस्था छोड़ने की तारीख से तीन वर्षो के भीतर अवधान राशि के लिये दावा नहीं किया गया हो वह राशि शासन के पास राजसात हो जावेगी।

8. प्रावीण्य सूची बनानाः

उम्मीदवारों का प्रवेश निम्नानुसार तैयार किये गये प्रावीण्य सूची के आधार पर निर्धारित होगाः–

1.	अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांक	100
2.	तकनीकी अनुभव का अतिरिक्त अंक(10 मे से)	
	(अ) प्रथम दो वर्ष के तकनीकी (वैध प्रमाण–पत्र के आधार पर) अनुभव पर	शून्य
	(ब) नियमित सेवा अनुभव के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये प्रथम दो वर्ष के अनुभव के पश्चात पात्रता होने पर अधिक्तम अंक एक अंक प्रतिवर्ष के आधार पर	10
3.	तकनीकी योग्यता हेतु अतिरिक्त अंक जो संबंधित ट्रेड के आधार पर (तकनीकी माध्यमिक स्कूल/आई.टी.आई रीजनल बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग)	15
4.	अर्हकारी परीक्षा से अधिक योग्यता के लिये (गणित, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र सहित)	5
5.	साक्षात्कार से प्राप्तांक	10
	कुल	**140**

टीपः–(अ) यदि उच्च परीक्षाओं के आधार पर सौ अंकों में से प्रावीण्यता अंको की गणना की जाती है तो उस परीक्षा के लिये अतिरिक्त अंको के प्रभार की गणना अथवा अन्य निम्न परीक्षा के प्रभार की गणना नहीं की जावेगी।

टीपः–(ब) राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांको के आधार पर 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर मेरिट सूची में स्थान निर्धारित किया जायेगा। उम्मीदवार को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर स्वर्ण पदक प्राप्त करने के विषय में निर्धारित प्रारुप 14 में प्रमाण–पत्र संचालक, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, म0प्र0 शासन से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

9. परीक्षाः

राजीव गांधी प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल प्रत्येक सेमेस्टर के संबंधित पाठ्यक्रम की परीक्षा आयोजित करेगा। प्रवेश प्राप्त सभी छात्रों को पाठ्क्रम के समस्त सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक विषयों की परीक्षा देनी होगी। प्रत्येक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिये राजीव गांधी प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा बनाये गये नियम लागू होगे। इसी प्रकार अंशकालीन पाठयक्रम में पुनः प्रवेशित या पूर्व के छात्रों के लिये राजीव गांधी प्रोद्योगिकी वि.वि. द्वारा अनुमोदित नियमों के अनुसार ही पात्रता होगी।

10. सामान्यः

1. उम्मीदवार कक्षा, प्रयोगशाला तथा कर्मशाला में उचित परिधान (ड्रेस) में रहें।
2. संस्था के नियम प्रवेश सूची/प्रतीक्षा सूची संस्था के सूचना पटल पर लगा दिये जायेंगे, जिन्हें ज्ञात करना उम्मीदवार का कर्त्तव्य रहेगा। अज्ञानता के कारण किसी त्रुटि के लिये वे स्वंय उत्तरदायी होंगे ।
3. उम्मीदवार किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु संस्था के प्राचार्य से सम्पर्क करें।
4. यदि प्रवेश हेतु चयनित उम्मीदवार संस्था प्रारम्भ होने पर बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहता है या प्राचार्य के मतानुसार बिना किसी न्याय संगत कारणों से अनुपस्थित रहता है तो वह प्रवेश के सभी अधिकार से वंचित हो जायेगा। इस आशय का शपथ पत्र उम्मीदवार द्वारा प्रवेश लेते समय निर्धारित प्रपत्र में देना होगा।

11. फीस एवं अन्य प्रभार (प्रति सेमेस्टर): परिशिष्ट–1 में जानकारी पृथक से संलग्न है तथा निर्धारित फीस की राशि प्रवेशित संस्थाओं में देय होगी।

12. आचार संहिताः

1. अंशकालीन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम के प्रत्येक छात्र का व्यवहार सदैव अच्छा रहेगा, परिश्रम पूर्वक अध्ययन करेगा, शिष्टाचार तथा गरिमा बनाये रखेगा, सहपाठचरों

कार्यक्रमों में समुचित रूप से भाग लेगा और उस संस्था के अनुशासन संबंधी सभी नियमों का पालन करेगा जिसका वह छात्र है।

2. जब कोई छात्र संस्था के भीतर या बाहर अनुशासन भंग करने का दोषी पाया जायेगा तो उस संस्था का प्रमुख जिसमें वह अध्ययन करता है, अपराध के स्वरूप और गंभीरता के अनुसार

(अ) ऐसे छात्र को एक समय में एक सप्ताह कक्षा में भाग लेने से निलंबित कर सकेगा।

या

(ब) ऐसे छात्र को संस्था से निकाला (एक्सपेल) जा सकेगा।

(स) ऐसे छात्र को अगली परीक्षा में भाग लेने से वंचित किया जा सकेगा।

(द) ऐसे छात्र को निष्कासित (रिस्टीकेट) किया जा सकेगा।

3. (अ) उपरोक्त कोई दंड देने के पूर्व संस्था प्रमुख संबंधित छात्र को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देगा और दंड देने के कारणों को लेखबद्ध करेगा।

(ब) संबंधित संस्था के प्रमुख किसी भी छात्र को किसी अभिकथित अपराध के संबंध में उसके आचरण की जांच होने तक संस्था में अस्थाई रूप में ऐसी अवधि के लिये जो आवश्यक हो, निलंबित करने का अधिकार रखेगा।

(स) परीक्षा में बैठने के लिये छात्र कि उपस्थिति की अवधि की गणना करते समय उस अवधि की भी गणना की जावेगी जिसके दौरान छात्र की जांच पूरी होने तक निलंबित रहा हो, बशर्ते वह निर्दोष पाया जावे।

(द) यदि किसी छात्र को संस्था से निष्कासित कर दिया जाता है तो उसका नाम नामांकित छात्रों के रजिस्टर से निकाल दिया जावेगा।

13. निष्कासनः–

संबंधित पोलीटेकनिक महाविद्यालय के प्राचार्य को निम्नलिखित कारणों में या सभी कारणों मे से किसी भी छात्र का नाम संस्था के रजिस्टर से निकाल देने का अधिकार होगाः

1. यदि यह पता चले की प्रवेश नियमों या उपबंधो का उल्लघंन करते हुए या प्रवेश
   कपट पूर्वक लिया गया था या आवेदन पत्र में या उसके संलग्न सहपत्रों में गलत जानकारी देकर लिया गया था।
2. निर्धारित समय के भीतर देय राशियों का भुगतान ना करने पर।
3. वांछित स्तर या/और प्रवीणता प्राप्त न करने पर।
4. प्राचार्य के पूर्व अनुमोदन के बिना संस्था और/या कक्षाओं से लगातार अनुपस्थित होने पर।
5. आचरण संतोषजनक न होने पर।
6. बाद में ज्ञात होने पर कि छात्र तकनीकी पद पर नियमित रूप से सेवा में नहीं है, तब प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जावेगा।

7. कोई छात्र यदि अनुशासन के प्रतिकूल या किसी अन्य रूप से गंभीर दुराचरण का व्यवहार संस्था परिसर के भीतर या बाहर करता है तो वह अनुशासनातमक कार्यवाही जोकि निष्कासन भी हो सकती है का पात्र होगा।

14. एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरणः–

जिन संस्थाओं में अंशकालीन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम संचालित है उन संस्थाओं में प्रवेश हो जाने के उपरांत छात्र/छात्रा का अन्य संस्था में स्थानांतरण नहीं किया जावेगा।

:: परिशिष्ट –1 ::

विभिन्न पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में वर्ष 2011–2012 में देय अंशकालीन पाठ्यक्रमों के लिये शिक्षण शुल्क की जानकारी

(अ) समस्त शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, राज्य शासन द्वारा स्वशासी घोषित एवं अनुदान प्राप्त पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में शिक्षण शुल्क एवं विकास शुल्क (इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिये) निम्नानुसार देय होगाः

1. राज्य शासन द्वारा स्वशासी घोषित पोलीटेकनिक महाविद्यालयों एवं अनुदान प्राप्त पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में:

   शिक्षण शुल्क

   रू. 5000/–प्रति सेमेस्टर

2. शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में:

   शिक्षण शुल्क

   रू. 3750 प्रति सेमेस्टर

(ब) अन्य शुल्क समस्त श्रेणी के छात्र/छात्राओं द्वारा विषम सेमेस्टर में प्रवेश के समय (1,3,5 एवं 7 वां सेमेस्टर) निम्नानुसार देय होगा।

1.	समेकित निधी (प्रवेश)	रू. 5.00
2.	छात्र सहायता	रू. 5.00
3.	स्थानीय परीक्षा शुल्क	रू. 20.00
4.	अमलगमेटेड फंड	रू. 40.00
5.	पुस्तकालय	रू. 25.00
6.	प्रशिक्षण	रू. 100.00
7.	स्थानीय क्रीडा शुल्क	रू. 50.00

8. राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कः वि.वि. के निर्धारण के अनुसार

(स) वापसी योग्य अवधान राशि (एक बार) समस्त श्रेणी के छात्र/छात्राओं द्वारा देय होगी:

1.	संस्था के लिये अवधान राशि	रू. 100.00

नियोक्ता का अनापत्ति/सेवा/व्यवसाय एवं अनुभव प्रमाण–पत्र
(नियोक्ता द्वारा भरा जावें)

संदर्भ क्रमांक ————————स्थान——————————दिनांक—————————

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ———————————————————आत्मज श्री————————————————— के अंशकालीन इंजी पत्रोपाधि पाठ्यक्रम के——————————————————————इंजी. (इंजी. की शाखा का नाम जिसमें प्रवेश लेना चाहते हैं) शासकीय/स्वशासी पॉलीटेक्निक————————————में (नगर का नाम जिसके पॉलीटेक्निक में प्रवेश लेना चाहते हैं) प्रवेश मिलने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री———————————————————इस विभाग/सगंठन/प्रतिष्ठान/संस्थान् जिसका पूरा नाम एवं पता————————————————————————————है। मैं पूर्णकालीन तथा नियमित सेवा में ——————————के पद पर दिनांक ——————से ————————————————————तक सतत् कार्यरत हैं/था। इसका मूल वेतन रूपये—————————महंगाई भत्ता रू.——————— अन्य भत्ते————————रू. इस तरह परिलब्धि रू.————————————हैं। इनका नामांकन कर्मचारी भविष्य निधि खातें में दर्ज है। जिसका खाता क्रमांक सी.पी.एफ/डी.पी.एफ/जी.पी.एफ क्रमांक .... है ।

आवेदक को पद स्थापना ————————————(स्थान का नाम) में हैं जो कि —————— नगर से———————————— कि.मी. दूरी पर हैं।

आवेदक का मुख्य तकनीकी कार्य निम्नानुसार हैं ————————————————————
———

(आवेदक के प्रति निर्दिष्ट कार्य का विवरण दें) जो कि मुख्य रूप से —————————— का कार्य करता है।
(कार्य का नाम ———

यह प्रतिष्ठान/संस्थान फैक्ट्री एक्ट/लघु उद्योग निगम/रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटीज/संचालक उद्योग विभाग/लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/लोक स्वास्थय योंत्रिक रेल्वे/नगर निगम/विकास/प्राधिकरण/इलैक्ट्रिकल लायसेंसिंग बोर्ड आदि के अतंर्गत पंजीकृत/लायसेंस प्राप्त हैं तथा वर्तमान पंजीयन क्रमांक/लायसेंस क्रमांक —————————————है।

(पंजीयन की प्रति संलग्न है)

आवेदक की सेवाएं आगामी चार वर्षो तक समाप्त होने अथवा स्थानांतरित होने की संभावना नहीं है।

स्थानः————————————————नियोक्ता/संस्थान प्रमुख ठेकेदार के हस्ताक्षर

टीपः— यदि नियोक्ता ठेकेदार हो तो ठेकेदारों की श्रेणी/ग्रेड संबंधित प्रमाण–पत्र संलग्न करें।

नामः——————————————————

पद—————(मोहर सहित)——————

पता————————दूरभाष क्रंमाक———

आवेदक का संस्था में कार्यरत रहने का प्रमाण पत्र स्वरूप

श्रम अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर   कार्यपालन यंत्री विद्युत लायेसेंसिग अथारिटी

नाम————————————
पद————————————

इस्टेट मैनेजर के प्रति हस्ताक्षर
ठेकेदार का पंजीयन क्रमांक—————————
दिनांक——————————

संस्थान मोहर——————————

ग्रेड श्रेणी ————————आवेदक ठेकेदार के पास कार्यरत है।

दूरभाष क्रमांक——————————

टीपः— (1) आवेदक के कार्यो/कर्त्तव्यों का विवरण अपूर्ण होने पर आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
(2) आवेदन नियोक्ता द्वारा अपने कार्यालयीन क्रंमाक एवं दिनांक सहित संबंधित प्राचार्य पॉलीटेक्निक को अग्रेषित होना चाहिए।
(3) यदि आवेदक शिक्षा अवधि में नौकरी छोड़ता है, (स्वयं की इच्छानुसार अथवा निष्कासन होने पर) तो नियोक्ता इसकी जानकारी संबंधित संस्था के अंशकालीन पाठ्यक्रम के प्राचार्य को अवश्य भेजे।
(4) शासकीय एवं अद्धशासकीय कर्मचारियों को प्रतिहस्ताक्षर करना आवश्यक नही हैं।

अध्याय–2

प्रारूप–2 (अ)

अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण–पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग..जिला...मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक......................................   प्रकरण क्रमांक..........................
प्रमाण पत्र क्रमांक................................

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. पिता/पति का नाम.. निवासी ग्राम/नगर....................... .... वि.खं.. तहसील..जिला.. संभाग............ .... के..जाति/ जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह ....जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक...पर अंकित है। अतः श्री/श्रीमती/कुमारी.. पिता/पति का नाम... ....अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी...के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपए...है।

दिनांक ....   **हस्ताक्षर**
(सील)   **प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम**
पदनाम

टिप्पणी (1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जानजाति।

(2) केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गये प्रमाण–पत्र मान्य होंगे। (अ) कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ.(अनुविभागीय अधिकारी) उपसंभागीय मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक/अधिकारी,वृहद/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना।

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

प्रारूप–2 (ब)

अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण–पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग..जिला..मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक.......................................   प्रकरण क्रमांक...........................
प्रमाण पत्र क्रमांक.................................

अस्थायी जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. पिता/पति का नाम.. निवासी ग्राम/नगर....................... .... वि.खं.. तहसील.......................................जिला.. संभाग............. .... के...जाति/ जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह ....जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक...पर अंकित है। अतः श्री/श्रीमती/कुमारी.. पिता/पति का नाम... ....अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी...के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपए...है।

दिनांक ....   **हस्ताक्षर**
(सील)   **प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम**
पदनाम

यह प्रमाण–पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध होगा।

प्रारूप–3 (अ)

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र

स्थायी प्रमाण पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी
(प्रमाणीकरण)

अनुभाग...जिला...मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक.. प्रकरण क्रमांक..
प्रमाण पत्र क्रमांक...

जाति प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी..
पुत्र / पुत्री श्री..
निवासी ग्राम / शहर.. तहसील..................................... जिला.............................
..मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो..जाति के हैं जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन,आदिम जाति,अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8–5 पच्चीस 4–84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984, द्वारा अधिमान्य किया गया है ।

श्री... और / या उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिला.. संभाग................................. में निवास करता है.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री...
क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों / वर्गो की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिशिष्ट क्र 380 / 2 / 22 / 93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.93 द्वारा जारी सूची के कालम–3 में तथा मध्य प्रदेश शाासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ. 7–26 / 93 / 1– आ.प्र., दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट "ई" की अनुसूची के कॉलम (3) में किया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन श्री / श्रीमती / कुमारी...
के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये..है।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक................................. को प्रवजन कर चुका है।

दिनांक ....
(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

प्रारूप–3 (ब)

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र

अस्थायी प्रमाण पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी
(प्रमाणीकरण)

अनुभाग...जिला...मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक.. प्रकरण क्रमांक..
प्रमाण पत्र क्रमांक..

जाति प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी...
पुत्र/पुत्री श्री..
निवासी ग्राम/शहर.. तहसील... जिला...............................
..मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो..जाति के हैं जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन,आदिम जाति,अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8–5 पच्चीस 4–84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984, द्वारा अधिमान्य किया गया है ।

श्री.. और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिला.. संभाग.................................... में निवास करता है.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री.. क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गो की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिशिष्ट क्र 380/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.93 द्वारा जारी सूची के कालम–3 में तथा मध्य प्रदेश शाासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ. 7–26/93/1– आ.प्र., दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट "ई" की अनुसूची के कॉलम (3) में किया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन श्री/श्रीमती/कुमारी... के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये...है।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक.................................... को प्रवजन कर चुका है।

दिनांक ....
(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

यह प्रमाण–पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध होगा।

प्रारूप–8

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक.................................. **दिनांक...........................**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. आत्मज/आत्मजा/पत्नी/श्री.. जो तहसील.................................. जिला..मध्यप्रदेश का निवासी है, क्योकि वह

1. मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है/हुई है

अथवा

2. वह/उसका पालक/वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरंतर कम से ..कम 15 वर्षो से रह रहा है।

अथवा

3. उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है जो मध्यप्रदेश में सेवारत है।

अथवा

4. वह स्वयं अथवा उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षो से कोई अचल संपत्ति, उद्योग व्यवसाय रखते है।

इसके अतिरिक्त

1. उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है। जिसमें कक्षा एक से पूर्व की शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी।

अथवा

2. उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण की है।

(क) 10+2 प्रणाली की दसवीं/बारहवीं कक्षा की परीक्षा
(ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा

स्थान : ....
दिनांकः ....

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
(कार्यालय सील)

टिप्पणी : जो अंश आवश्यक न हो उन्हें काट दिया जावे।

प्रारूप—14

राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ियो के लिये प्रमाण—पत्र

संदर्भ क्रमांक ....   दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....

आत्मज/आत्मजा/श्री .... ने वर्ष .... की ....

.... में भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त खेल संगठनों के अधिकार पत्र पर आयोजित .... राष्ट्रीय प्रतियोगिता में .... स्वर्ण पदक अर्जित किया है ।

स्थान ....

दिनांक ....

संचालक
खेल और युवक कल्याण, मध्यप्रदेश
हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा

नोट :— ओपन, जूनियर, सीनियर एवं नेशनल गेम्स राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को इस हेतु राष्ट्रीय प्रतियोगिता की श्रेणी में नही माना जावेगा ।

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
अंशकालीन प्त्रोपाधि पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रवेश हेतु
आवेदन–पत्र. सत्र 2011–12

आवेदन–पत्र क्रमांक		पोलीटेकनिक महाविद्यालय की सील
(पोलीटेकनिक महाविद्यालय द्वारा आवेदन जमा करते समय आवंटित किया जावे) पात्र अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की तिथिः– 23 दिसम्बर, 2011 अथवा 24 दिसम्बर, 2011		

(उम्मीदवार द्वारा स्वयं भरा जावे)

महत्वपूर्ण नोटः–

1. प्रत्येक पोलीटेकनिक के लिये आवेदन उस पोलीटेकनिक महाविद्यालय में जमा करें जहां अभ्यर्थी प्रवेश का इच्छुक है।
2. आवेदन जमा करने पर अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन पत्र संबंधित पोलीटेकनिक महाविद्यालय में जमा हो जाये।
3. आवेदन–पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज तथा शुल्क हेतु ₹100 रूपये का डिमांड ड्राफ्ट, जो की संस्था के प्राचार्य के नाम सें देय हो, जमा करें।

पोलीटेकनिक महाविद्यालय का नाम जहां प्रवेश के लिये आवेदन–पत्र जमा किया जा रहा हैः–

प्रपत्र क्रमांक..............................

संस्था की मोहर

प्रथम सेमेस्टर अंशकालीन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम रात्रिकालिन कक्षाएं मेकेनिकल/इलेक्ट्रीकल/ सिविल इंजीनियरिंग–चार वर्षीय पाठ्यक्रम

आवेदक का फोटो नियोक्ता द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो।

(1)श्रेणीः–{(अनारक्षित/अनुसूचित–जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)} ____________

(2)विकलांग (हाँ/नहीं) ____________

(3)उम्मीदवार का पूरा नाम (10वीं की अंकसूची अनुसार) ____________

(4)पुरूष/महिला ____________ (9)जन्मतिथि(DD/MM/YYYY) ____________

(5) पिता/पति का नाम ____________

(6) पत्र व्यवहार का पूर्ण पता ____________ पिनकोड ____________

(7) स्थायी पता ____________

	पिनकोड	

(8) मोबाईल क्रमांक ____ (9) दूरभाष क्रमांक ____

(10) ई–मेल आईडी ____

(11) उत्तीर्ण अर्हकारी परीक्षा का विवरणः–

वि0वि0/बोर्ड का नाम	संस्था का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	लिये गये विषय	उत्तीर्ण होने का वर्ष	कुल प्राप्तांकों का विवरण		
					कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत

12. उम्मीदवार द्वारा उत्तीर्ण विगत वर्षो की तकनीकी परीक्षा (आई.टी.आई. या एपरेन्टिसशिप) का विवरणः–

क्रं.	परीक्षा उत्तीर्ण	संस्था का नाम जहाॅ पढ़ते थे	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	पाठ्‌यक्रम
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.					
2.					
3.					

13. उम्मीदवार की नौकरी का विवरणः–

पद	से	तक	कुल अनुभव	एम्पलायर का नाम
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				

(14) क्या आप नियम पुस्तिका के नियम 1.4.2 के तहत् मध्यप्रदेश के अधिवासी हैं? (हाँ / नहीं) [ ]

आवेदन शुल्क हेतु डिमाण्ड ड्राफ्ट का विवरणः–

आवेदन शुल्क [₹ 100/–] डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक [ ] दिनांक [ ]

बैंक का नामः– [ ]

(16) नाम एवं पता उम्मीदवार के वर्तमान : ....
नियोक्ता (एम्पलायर का) ....

(17) उम्मीदवार के अधिकारी का नाम एवं : ....
संस्था का पता जिससे अग्रेषित करवाया है ....

(18) उम्मीदवार की मासिक आय :..

(19). नौकरी के अनुसार पाठ्यक्रम सिविल / मेकेनिकल / इलेक्ट्रीकल इंजी

(20). रसीद नंबर जिनके द्वारा पैसा जमा कर विवरण पुस्तिका क्रय की गई थी।
1. संस्था का नाम......................
2. रसीद नम्बर............................
3. दिनांक

.

//घोषणा–पत्र//

उम्मीदवार की घोषणाः–

मैं घोषणा करता हूँ कि :–

(अ) उपरोक्त जानकारियाँ सही है। यदि मैं गलत सूचना देने का दोषी पाया गया तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

(ब) मुझे ज्ञात है कि किसी गैर कानूनी संगठन से (सक्रिय या परोक्ष) संबंधित रहना प्रतिबंधित है।

(स) यदि मुझे प्रवेश हेतु चुन लिया जाता है तो राजीव गांधी प्रौ.वि.वि. और संचालक तकनीकी शिक्षा द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियमों का पालन करने का वचन देता हूँ।

(द) मैं संस्था के समस्त नियमों का पालन करूंगा।

(ई) मैं जिस संस्था में कार्यरत हूँ वहॉ से अपने नियुक्तिकर्त्ता अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया है।

(क) मैंने, नियोक्ता का प्रमाण–पत्र उनके कार्यालय क्रमांक...................एवं दिनांक............. के द्वारा जारी किया गया है, और नियमों के तहत में प्रवेश की पात्रता रखता हूँ इस संबंध में शपथ–पत्र फार्म के साथ संलग्न कर दिया गया है । पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि तक मेरी वहीं पर कार्यरत रहने की सभांवना है। मुझे जानकारी है कि मेरा स्थानान्तरण नहीं होगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी में जांच के दौरान कोई त्रुटि पाई जाती है तो मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जावे।

दिनांक.....................

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

पिता/अभिभावक का नाम एवं हस्ताक्षर
दिनांक . . . .

अभ्यर्थी का नाम एवं हस्ताक्षर
दिनांक . . . .

आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें:–

(1) निर्धारित शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट जोकि "संबंधित संस्था/पोलीटेकनिक महाविद्यालय नाम से संस्था स्थित शहर में देय हो

(2) अर्हकारी परीक्षा की बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त अंक सूची की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

(3) प्रवेश नियम के तहत मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबधी निर्धारित प्रारूप में प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

(4) आरक्षित श्रेणी तथा वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि। अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) का प्रमाण पत्र 30/04/2009 के पूर्व का होने की दशा में नवीन आय प्रमाण पत्र आवश्यक है

(5) आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम आय प्रमाण–पत्र

(6) विकलांग उम्मीदवार होने की दशा में निम्नलिखित प्रमाण पत्र

    (अ) जिला चिकित्सा मंडल द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र; तथा

    (ब) अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलांगों हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (Superintendent, Vocational Rehabilitation Centre for Physically Handicapped, Govt. of India, Ministry of Labour) **नेपियर टाउन, जबलपुर** द्वारा जारी पाठ्यक्रम पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होंगे।

नोटः–अपूर्ण फार्म मान्य नहीं किया जायेगा.

संबंधित संस्थाओं में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 22 दिसम्बर, 2011 है।

आवेदन–पत्र की पावती

(व्यक्तिगत रूप से जमा करने पर देय)

सत्र 2011–12

आवेदन–पत्र क्रमांक

(पोलीटेकनिक महाविद्यालय द्वारा आवेदन जमा करते समय आवंटित किया जावे)

उम्मीदवार का पूरा नाम

(10वीं की अंकसूची अनुसार)

उपरोक्त आवेदन पाठ्यक्रम सिविल/मेकेनिकल/इलेक्ट्रीकल इंजी के लिए आज दिनांक / /2011 को प्राप्त किया

आवेदन प्राप्तकर्त्ता का नाम एवं हस्ताक्षर
पोलीटेकनिक महाविद्यालय की सील

महत्वपूर्ण तिथियाँ

1	वेबसाईट पर नियम पुस्तिका एवं आवेदन–पत्र की उपलब्धता	10 दिसम्बर से
2	वेबसाईट से आवेदन–पत्र डाउनलोड कर तथा पूर्णतः भरकर समस्त संलग्नकों के साथ प्रवेश के इच्छुक पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि	12 दिसम्बर, 2011 से 22 दिसम्बर, 2011 तक (कार्यालयीन समय में)
3	संस्था द्वारा अपने सूचना पटल पर मेरिट सूची तथा प्रतीक्षा सूची जारी करने की तिथि	26 दिसम्बर, 2011
4	संस्था द्वारा प्रवेश हेतु मेरिट तथा प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों के लिये प्रथम चरण की काउंसिलिंग आयोजित किये जाने की तिथि (तिथिवार मेरिट/प्रतीक्षा सूची में उपलब्ध अभ्यर्थियों संख्या अनुसार काउंसिलिंग हेतु बुलाये जाने हेतु अभ्यर्थियों की सूची संस्था के सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जावेगा)	27 दिसम्बर, 2011 से 30 दिसम्बर, 2011

नोटः– पात्र अभ्यर्थियों के साक्षात्कार संबंधित संस्था द्वारा **दिनांक 23 अथवा 24 दिसम्बर, 2011** को आयोजित किये जायेंगे तत्पश्चात् संस्था द्वारा उपरोक्त कार्यक्रमानुसार मेरिट/प्रतीक्षा सूची जारी की जावेगी।

प्रवेश के लिये अभ्यर्थियों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया

1. प्रदेश के पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में **अंशकालीन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रवेश हेतु** नियम पुस्तिका, आवेदन–पत्र का प्रारूप संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश की अधिकृत वेबसाईट– www.mptechedu.org /www.dtempcounselling.org से डाऊनलोड कर उस प्रिंटआउट की प्रति सुरक्षित रखें।
2. डाउनलोड किये हुए आवेदन–पत्र को पूर्णतः भरकर समस्त आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपियां तथा शुल्क हेतु ₹ 100/– का डिमांड ड्राफ्ट जोकि "संस्था के प्राचार्य के नाम देय हो, सहित उस पोलीटेकनिक महाविद्यालय में जमा करें जहां अभ्यर्थी प्रवेश का इच्छुक है।
3. पोलीटेकनिक महाविद्यालय में निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व जमा किया जा सकता है। आवेदन जमा करने पर अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन पत्र संबंधित पोलीटेकनिक महाविद्यालय में जमा हो जाये।
5. अभ्यर्थी का यह उत्तरदायित्व होगा कि निर्धारित तिथि को संस्था द्वारा जारी की गई मेरिट/प्रतीक्षा सूची में अपनी स्थिति से अवगत होकर संस्था द्वारा आयोजित काउंसिलिंग की तिथियों पर उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करे। अभ्यर्थियों को पृथक से कॉल लेटर/डाक द्वारा सूचना नहीं दी जावेगी।

स्वस्थता प्रमाण–पत्र

1. नाम...	उम्मीद्वार का पासपोर्ट साईज का फोटो जो चिकित्सा अधिकारी द्वारा ही अनुप्रमाणित किया गया हो। यहां गोंद से चिपकाऐं
2. लिंग...	
3. आयु...	
4. पिता/पति का नाम..	

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैने अंशकालीन डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री...का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर लिया है और वह हृष्ट पुष्ट एवं स्वस्थ है तथा वह नीचे दिये गये चिकित्सा मान दण्डो के अनुसार दुरूस्त है।

चिकित्सक के हस्ताक्षर................
नाम...
पंजीयन क्रमांक.............................

स्थान
दिनांक (चिकित्सक की सील)

चिकित्सा का मान दण्ड (**Medical Standard**)

1. ऊंचाई (**Height**)
   पुरूष उम्मीदवार के लिये 1.5 मीटर तथा महिला उम्मीदवार के लिए 1.4 मीटर से कम न हो
2. वजन (**Weight**)
   पुरूष उम्मीदवार के लिये 41 किग्रा. तथा महिला उम्मीदवार के लिए 37 किग्रा. हो।
3. सीना माप (**Chest and Measurement**)
   केवल पुरूष उम्मीदवार के लिये 69 सेन्टी मीटर (फुलाव व सिकुड़न) की संतोष जनक सीमाओं सहित।
4. हृदय एवं फेफड़े (**Heart & Lungs**)
   कोई असामान्यता नहीं, हार्निया (**Harnia**) हाइड्रोसील(**Hydrocile**) बवासीर (**Piles**) इत्यादि की उपस्थिति अस्थायी रूप से अयोग्य मानी जावेगी (संस्था में प्रवेश लेने से पूर्व इनका ठीक होना आवश्यक है।)
5. नेत्र ज्योति (**Vision**)
   सामान्य दोष होने पर अच्छी आंख में 6/9 तक का तथा खराब आंख में 6/12 तक सुधार आवश्यक आखें जन्मजात तथा अन्य बीमारियों से मुक्त होना चाहिए।
6. श्रवण शक्ति(**Hearing Power**)
   सामान्य जहां दोषपूर्ण हो उसका ठीक होना आवश्यक है।

अंशकालीन डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के आवेदन के साथ आवेदक द्वारा दिये जाने वाले शपथ–पत्र का प्रारूप

शपथ–पत्र

मैं———————————————————————————————पुत्र———————————————
आयु—————————————————————————निवासी——————————————————
जिला——————————————————तहसील————————————————————————————
का निम्नानुसार शपथ लेता हूँ कि :–

1. मैं तकनीकी पद पर नियमित कर्मचारी के रूप में नियमित वेतन/वेतनमान रूपये ———————में दिनांक———————————से संस्था मेसर्स ————————————————————— में कार्यरत हूँ और वर्तमान में माहवारी कुल वेतन रूपये ——————————नियमित रूप से नियोक्ता कार्यालय से प्राप्त कर रहा हूँ जिसका रिकार्ड कभी भी देखा जा सकता है। संस्थान का पंजीयन क्रंमाक ——————————है एवं दूरभाष क्रंमाक ——————————हैं।
2. मैंने नियमित छात्र के रूप में अन्य किसी संस्था में सत्र——————————————में प्रवेश नहीं लिया है।
3. मैं अपना स्थानातरण प्रमाण–पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत कर दूंगा। मैं डुप्लीकेट स्थानांतरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योकि मूल स्थानांतरण प्रमाण–पत्र गुम हो गया हैं उसके आधार पर मैंने अन्य किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश नहीं लिया था।
4. मैंने अपने नियोक्ता से निर्धारित प्रपत्र में अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया हैं तथा प्रत्येक सेमेस्टर में प्रवेश के समय तकनीकी कार्य पर कार्यरत रहने का तथा कक्षाओं में अध्ययन करने की अनुमति का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करता रहूंगा।
5. मैं दैनिक वेतन पर कार्यरत नहीं हूँ।
6. यदि किसी भी स्तर पर प्राचार्य द्वारा या अन्य किसी अधिकारी के द्वारा यह पाया गया कि उपरोक्त क्रं. 1 से 5 तक मैंने जो जानकारी प्रवेश के संबंध में दी है वह गलत है अथवा तकनीकी कार्य पर नियमित सेवा में कार्यरत नहीं हूँ तो मेरा प्रवेश बिना सूचना के कभी भी निरस्त कर दिया जावे।

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं———————————————पुत्र———————उम्र———————————जिला———————————————
तहसील———————————————— यह सत्यापित करता हूँ उपरोक्त क्रं. 1से 6 तक दिया गया विवरण मेरी जानकारी से सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदन पत्र क्रमांक............................. आवेदक का नाम ....

अंशकालीन डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जांच पत्रक
पेज (1)

---

1. आवेदक की आयु 20 वर्ष से अधिक ☐ हां नहीं
   (आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को)

2. शैक्षणिक योग्यता ☐ 10 + हाई स्कूल गणित, विज्ञान सहित
   10 + हाई स्कूल अर्हकारी परीक्षा की अंक सूची संलग्न ☐ हाँ ☐ नहीं

3. उच्च शैक्षणिक योग्यता ☐ (10 + 2) हायर सेकेण्डरी भौ. रसा. गणित से (10+2)

   हायर सेकेण्डरी परीक्षा की अंकसूची संलग्न ☐ है ☐ नहीं

   बी.एस.सी. या उच्च परीक्षा भौ. रसा. गणित से बी.एस.सी. या उच्च परीक्षा की सूची संलग्न
   ☐ है ☐ नहीं

4. तकनीकी योग्यता ☐ आई.टी.आई.

   ☐ एप्रेन्टिसशिप

   ☐ टेकनिकल स्कूल (वोकेशनल कोर्स)

   तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र संलग्न है ☐ है ☐ नहीं

5. जाति ☐ अनुसूचित जाति

   ☐ अनुसूचित जनजाति

   ☐ पिछड़ा वर्ग

   निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र संलग्न ☐ है ☐ नहीं

क्रमशः—2

जांच पत्रक पेज (2)

6. अनुभव — प्रायवेट संस्थान / शासकीय विभाग / सार्वजनिक प्रतिष्ठान ☐

ठेकेदार (सिविल/विद्युत)

7. आवेदन पत्र नियोक्ता कार्यालय द्वारा अग्रेषित किया गया है ☐ ☐ नहीं

8. वर्तमान नियोक्ता का अनापत्ति एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न ☐ है ☐ नहीं

9. वर्तमान नियोक्ता से प्राप्त नियुक्ति पत्र संलग्न ☐ है ☐ नहीं

10. पूर्ववर्ती नियुक्ति आदेश की फोटोकापी ☐ है ☐ नहीं

11. कर्मचारी भविष्य निधि खाता क्रमांक अनुभव प्रमाण पत्र में संलग्न ☐ है ☐ नहीं

12. सेवा अनुभव प्रमाण पत्र प्रति हस्ताक्षरित है
    1. शासकीय विभाग/सार्वजनिक प्रतिष्ठान में कार्यरत आवेदक के विभागीय प्रमुख द्वारा प्रति हस्ताक्षरित ☐ है ☐ नहीं
    2. प्रायवेट संस्थान/उद्योगों में कार्यरत आवेदक का आवेदन पत्र श्रम प्रदाधिकारी/ जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रति हस्ताक्षरित ☐ है ☐ नहीं
    3. सिविल ठेकेदार के पास कार्यरत आवेदक शासकीय विभाग कार्यपालन यंत्री प्रति हस्ताक्षरित ☐ है ☐ नहीं
    4. विद्युत ठेकेदार के पास कार्यरत विद्युत लायसेंस निरीक्षक के प्रति हस्ताक्षरित ☐ है ☐ नहीं

13. आवेदक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता

14. आवेदक को साक्षात्कार की पात्रता है ☐ नहीं ☐

जांच प्रभारी